

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन बजट आकलनों, 2011 के अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्थापित लक्ष्यों की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के आंकलन हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा सरकार की प्राप्तियों व संवितरणों की प्रबल प्रवृत्तियों व संरचनात्मक रूपरेखा का विश्लेषण करता है।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं तथा राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण (राज्य सरकार द्वारा किए गए) एवं जनगणना जैसे विभिन्न स्रोतों से एकत्रित अतिरिक्त आंकड़ों पर आधारित इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा चार अध्यायों में उपलब्ध है।

अध्याय-I इस प्रतिवेदन तथा अंतर्निहित डेटा (विवरणों) के मूल आधार एवं दृष्टिकोण का वर्णन करता है, सरकारी लेखाओं की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, वृहद राजकोषीय विश्लेषण एवं घाटों/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय प्रास्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

अध्याय- II वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं राज्य के वित्त का व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हुए पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय, 2015-16 से 2019-20 के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य की ऋण रूपरेखा तथा प्रमुख लोक लेखा का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

अध्याय- III विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा विनियोजनों का अनुदान-वार विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें वित्तीय लेखाकरण पर अभ्युक्तियां एवं बजट प्रबंधन, कोषागारों की कार्यपद्धति की कमियों एवं चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम समाविष्ट है।

अध्याय- IV विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के साथ राज्य सरकार की अनुपालना तथा राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखाओं की गुणवत्ता का विवरण प्रस्तुत करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय-I: संक्षिप्त विवरण

➤ राज्य ने राजस्व घाटा संतोषजनक स्तर तक घटाकर राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय स्थिरता में विवेक सुनिश्चित करने हेतु राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 पारित किया। यद्यपि, 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन में संशोधन नहीं किया गया है।

(परिच्छेद 1.5.1)

2016-20 के दौरान राज्य ने 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्रीय हस्तांतरणों में वृद्धि के कारण सतत राजस्व अधिशेष दर्ज किया था। राजस्व अधिशेष में 2016-17 से 2019-20 तक (2018-19 को छोड़कर) गिरावट हुई तथा वर्ष 2019-20 के दौरान यह ₹12 करोड़ रहा।

➤ 2019-20 के दौरान 14 वें वित्त आयोग तथा राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय अधिनियम के लक्ष्य तीन प्रतिशत या उससे कम के विरुद्ध राजकोषीय घाटा (₹ 5,597 करोड़), सकल राज्य घरेलू राज्य उत्पाद का 3.38 प्रतिशत था। 2018-19 में ₹ 510 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष वर्ष 2019-20 में ₹ 1,363 करोड़ के प्राथमिक घाटे में बदल गया। बजट/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में बनाए गए अनुमान 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप नहीं थे तथा वर्ष 2019-20 के वास्तविक आंकड़े अनुमानित लक्ष्यों से काफी भिन्न थे।

(परिच्छेद 1.5.3)

अध्याय- II राज्य के वित्त

➤ विगत वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में ऋणात्मक वृद्धि दर (-0.67 प्रतिशत) देखी गई जो 2015-16 (31.37 प्रतिशत) से काफी कम थी। राज्य के स्वयं के संसाधनों, जिसमें कर एवं कर-भिन्न शामिल है, से मात्र 33 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां प्राप्तियां आई जबकि शेष 67 प्रतिशत केन्द्रीय अंतरणों द्वारा प्राप्त हुई जिसमें केन्द्रीय करों व शुल्कों का राज्यांश (15 प्रतिशत) एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान (52 प्रतिशत) शामिल थे।

(परिच्छेद 2.3.2.1)

➤ वर्ष 2018-19 की अपेक्षा 2019-20 के दौरान राज्य के कुल व्यय (₹ 36,362 करोड़) में ₹ 1,869 करोड़ (5.42 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय 2015-20 की अवधि के दौरान कुल व्यय का औसतन 84.4 प्रतिशत (78.9 प्रतिशत से 87.0 प्रतिशत में मध्य) रहा। 2015-20 के दौरान पांच वर्ष की अवधि में राजस्व व्यय की वृद्धि-दर में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई। 2015-20 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 68 से 71 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 65 से 70 प्रतिशत था।

(परिच्छेद 2.4.1, 2.4.2 एवं 2.4.2.2)

➤ पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष 2018-19 (₹ 4,583 करोड़) से 2019-20 के दौरान (₹ 5,174 करोड़) ₹ 591 करोड़ की वृद्धि (13 प्रतिशत) हुई तथा यह कुल व्यय का 14 प्रतिशत रहा।

(परिच्छेद 2.4.3)

➤ समग्र राजकोषीय देयताएं विगत वर्ष की अपेक्षा वर्ष की समाप्ति पर 14.57 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 62,212 करोड़ थी। कुल राजकोषीय देयताएं-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात विगत वर्ष से 2.31 प्रतिशत बढ़ कर 2019-20 में 37.60 प्रतिशत पर स्थिर हुआ जो 14वें वित्त आयोग के लक्ष्यों से अधिक था। 2019-20 के दौरान सरकार का आंतरिक ऋण 2018-19 के ₹ 35,363 करोड़ से बढ़ कर ₹ 39,528 करोड़ (11.78 प्रतिशत) हो गया।

(परिच्छेद 2.6.1)

➤ 31 मार्च 2020 ₹ 62,234 करोड़ (मूलधन: ₹ 40,572 करोड़ एवं ब्याज: ₹ 21,662 करोड़) के लोक ऋण तथा ब्याज के बकाया स्टॉक की परिपक्वता रूपरेखा दर्शाती है कि अगले पांच वर्ष के दौरान 2024-25 तक लोक ऋण अदायगी एवं ब्याज के रूप में वार्षिक धन निकासी लगभग ₹ 6,207 करोड़ होगी।

(परिच्छेद 2.6.2)

अध्याय- III बजटीय प्रबंधन

➤ 2019-20 के दौरान ₹ 53,708 करोड़ के कुल अनुदानों एवं विनियोजनों के प्रति ₹ 45,528 करोड़ (84.77 प्रतिशत) का व्यय हुआ। ₹ 8,179.45 करोड़ की समग्र बचतें, विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों में बचतों (₹ 8,229.36 करोड़) एवं ₹ 49.91 करोड़ (2019-20) के व्यय आधिक्य का परिणाम थी। वर्ष 2013-14 से 2018-19 के ₹ 9,154.31 करोड़ एवं 2019-20 के ₹ 49.91 करोड़ के व्यय आधिक्य का भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत राज्य विधायिका से विनियमन अपेक्षित है।

(परिच्छेद 3.1.1, 3.3.8.1 एवं 3.3.8.3)

➤ 16 अनुदानों (राजस्व/पूँजीगत-दत्तमत तथा प्रभारित-दत्तमत) के तहत 18 मामलों में (प्रत्येक मामले में एक करोड़ या अधिक) ₹ 438.61 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान (तालिका 3.4) के स्तर तक भी नहीं पहुंचा। तीन अनुदानों के तहत, (चार मामलों में) चालू वर्ष के दौरान विधायिका की पूर्व स्वीकृति के बिना अनुपूरक अनुदान/प्रावधानों (₹ 9.63 करोड़) से ₹ 6.82 करोड़ (71 प्रतिशत) का पुनर्विनियोजन किया गया था।

(परिच्छेद 3.3.4 एवं 3.3.5)

➤ आठ मामलों में से सात मामलों में पुनर्विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुए, क्योंकि इन मामलों के अंतर्गत हुई बचतें पुनर्विनियोजन राशि से अधिक थी तथा एक मामले में पुनर्विनियोजन अपर्याप्त सिद्ध हुआ, क्योंकि व्यय, आधिक्य में परिणत हुआ। 24 मामलों में ₹ 6,706 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया जो मूल बजट का 15 प्रतिशत था।

(परिच्छेद 3.3.6 एवं 3.3.7)

अध्याय- IV लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं की गुणवत्ता

➤ उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना, अनुदेयी को विभाग द्वारा जारी अनुदानों के सन्दर्भ में निगरानी के अभाव तथा विभिन्न कार्यों/योजनाओं/कार्याक्रमों हेतु जारी निधियों की अप्रयुक्ति, दुरुपयोग अथवा व्यपवर्तन का जोखिम उत्पन्न होने का परिचायक था। मार्च 2020 तक विभिन्न विभागों के ₹ 2,847.94 करोड़ राशि के कुल 2,482 उपयोगिता प्रमाणपत्र लम्बित थे। कुल 2,482 बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से ₹ 1,062.58 करोड़ के अनुदानों हेतु 1,083 उपयोगिता प्रमाणपत्र 2009-10 से 2017-18 की अवधि से सम्बन्धित थे। इसके अतिरिक्त कुल बकाया राशि में से 58 प्रतिशत दो विभागों (पंचायत राज विभाग: 41.15 प्रतिशत; ₹ 1,171.90 करोड़ तथा शहरी विकास विभाग का 16.72 प्रतिशत; ₹ 476.19 करोड़) से सम्बन्धित था।

(परिच्छेद 4.6)

➤ 2019-20 के दौरान ₹ 1,275 करोड़ की राशि, जो व्यय (₹ 35,904 करोड़) की 3.55 प्रतिशत थी, राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं में लघु शीर्ष -800 “अन्य व्यय” के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई थी। इसी भांति, ₹ 1,637 करोड़ जो प्राप्तियों (₹ 30,744 करोड़) का 5.33 प्रतिशत था लघु शीर्ष-800 अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत बुक किया गया। बहुउद्देशीय लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियों का संचालन वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता को प्रभावित करता है तथा आवंटन प्राथमिकताओं एवं व्यय की गुणवत्ता के सही विश्लेषण को अस्पष्ट कर देता है।

(परिच्छेद 4.9)

➤ राज्य सरकार ने राज्य में भारत सरकार लेखांकन मानक-2 एवं 3 के नियमों को अभी तक पूर्णतः लागू नहीं किया है इसलिए राज्य सरकार ने वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता से समझौता किया है। सहायता अनुदान का संस्थान-वार विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया (भारत सरकार लेखांकन मानक-2)। अन्य ऋणी संस्थानों से बकाया की चुकौती एवं उन ऋणी संस्थाओं, जिनकी पूर्ववर्ती ऋणों की चुकौती बकाया है एवं वर्ष के दौरान दिए गए नए ऋणों और अग्रिमों से सम्बन्धित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 4.13)